राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

ifjokj dY;k.k Hkou] 'k[kiqjk] iVuk&14

vYidkyhu fufonk

¼Lor=rk fnol lekjkg] 2015 grq >kdh fuek.k@in'ku grq½

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), 2015 के अवसर पर पटना के गाँधी मैदान में प्रदर्शित होने वाली झांकी के निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु अनुभवी/ख्याति प्राप्त फर्मों/एजेंसियों से मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ दिनांक 06 अगस्त, 2015 के अपराह्न 03 बजे तक आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदा दिनांक 06 अगस्त, 2015 को ही अपराह्न 04 बजे खोला जाएगा। निविदा खोलते वक्त निविदादाता के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

एक बड़े लिफाफे पर "स्वतंत्रता दिवस, 2015 – झांकी निर्माण/प्रदर्शन हेतु अल्पकालीन निविदा" अंकित होनी चाहिए जिसके अंदर दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में वित्तीय एवं तकनीकी निविदा समर्पित की जानी है।

1) तकनीकी निविदा वाले लिफाफे पर कवर 'क' "स्वतंत्रता दिवस, 2015 – झांकी निर्माण/प्रदर्शन हेतु अल्पकालीन निविदा" हेतु तकनीकी बिड" एवं
2) वित्तीय निविदा वाले लिफाफे पर कवर 'ख' – "स्वतंत्रता दिवस, 2015 – झांकी निर्माण/प्रदर्शन हेतु अल्पकालीन निविदा" हेतु वित्तीय बिड" अवश्य अंकित होनी चाहिए।

rduhdh fufonk grq vfuok;l vgÙkk;s% तकनीकि निविदा के साथ निम्नांकित कागज़ात/दस्तावेज़ समर्पित किए जाने हैं जो एजेन्सी के प्रोपराईटर अथवा एजेंसी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित (एजेन्सी की मुहर के साथ) होने चाहिए। साथ ही सभी दस्तावेज अनुक्रमणिका के साथ क्रमांकित होने चाहिए। इनका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में समर्पित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. निविदादाता के फर्म/एजेंसी का निबंधन प्रमाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
2. संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम पॉच वर्षों का कार्य अनुभव की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति एवं संतोषप्रद कार्य सम्पादित किए जाने हेतु इन पॉचों वर्षों का प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति।
3. अग्रधन राशि के रूप में ₹ 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) का "State Health Society, Bihar" के नाम से निर्गत एवं पटना में भुगतेय बैंक ड्रॉफ्ट। अग्रधन राशि रहित किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदा के निम्नांकित नियम एवं शर्तों के आलोक में शपथ पत्र की मूल प्रति/प्रतियाँ। शपथ पत्र समाचार पत्रों में इस निविदा के प्रकाशन की तिथि के उपरान्त का ही होना चाहिए।
   (i) नोटरी के समक्ष दायर शपथ पत्र की मूल प्रति में यह वर्णित होना चाहिए कि निविदादाता/एजेन्सी 15 अगस्त, 2015 (स्वतंत्रता दिवस) में झांकी निर्माण/प्रदर्शन का कार्य किसी अन्य विभाग का नहीं करेगा और यदि ऐसा पाया गया तो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को पूर्ण अधिकार होगा कि निविदादाता/एजेन्सी को कोई भुगतान नहीं करे।
   (ii) साथ ही शपथ–पत्र में यह भी अंकित होना चाहिए कि यदि एजेन्सी को कार्य सम्पादन हेतु चयनित किया गया तो वह राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के निविदा एवं समय–समय पर नामित पदाधिकारियों द्वारा जारी किए

गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्य सम्पादित करेंगे। इस शपथ–पत्र की मूल प्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

(iii) बिहार सरकार के किसी भी विभाग अथवा अन्य एजेंसी द्वारा निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का मूल शपथ–पत्र संलग्न होना चाहिए (नोटरी के समक्ष स्टैम्प पेपर पर किया गया शपथ–पत्र जो निविदा विज्ञापन के प्रकाशन के पश्चात् की तिथि का होना आवश्यक है)।

5. एजेंसी/निविदादाता के नाम से स्वअभिप्रमाणित पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न होना चाहिए।
6. वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में एजेंसी के नाम से दायर आयकर रिटर्न की मुहर सहित स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ इन वित्तीय वर्षों की Audited Report की स्वअभिप्रमाणित छाया–प्रतियाँ भी समर्पित की जानी हैं। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
7. निविदादाताओं/एजेन्सियों के स्वयं का वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में प्रतिवर्ष वार्षिक टर्नओवर कम–से–कम 50 लाख का होना चाहिये।
8. आय कर, सेवा कर तथा श्रम विभाग से संस्था के निबंधन के प्रमाण की स्वअभिप्रमाणित छाया–प्रति।
9. तकनीकी निविदा के साथ विषयगत झांकी का आकर्षक चित्र एवं डिजाईन (विषयवस्तुः "मुख्यमंत्री सघन टीकाकरण अभियान), जैसा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्री–बिड बैठक के दौरान दिखाया गया हो तथा जो वेबसाईट पर अपलोडेड हो, के अनुरूप आकर्षक ढ़ंग से चित्र विकसित कर, ग्राउण्ड एलाईन्मेंट प्लान के साथ तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
10. निविदादाता द्वारा झांकी निर्माण के कार्य में जिस कलाकार की सेवा ली जाएगी, वो कलाकार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित होने चाहिए एवं पेशेवर कलाकारों की संख्या Annexure-1 के अनुरूप होनी चाहिये। तत्संबंधी पेशेवर कलाकारों की सहभागिता हेतु संबंधित संस्थान द्वारा निर्गत अथवा संबंधित पेशेवर कलाकारों (स्वयं) द्वारा निर्गत सहमति–पत्र (बच्चों को छोड़कर) के साथ प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
11. झांकी में जो 3-D models का निर्माण किया जाना है, को मान्यता प्राप्त आर्टस् कॉलेज से प्रशिक्षित कलाकारों के माध्यम से करवाया जाना है। इन कलाकारों के credentials (attested photocopies of certificates) एवं इनके द्वारा पूर्व में बनाए गए 3-D models के proof) निविदा के साथ समर्पित किए जाने हैं।
12. Joint Venture में डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

fufonk dh vU; fu;e ,o 'kÙkZ

1. झांकी का निर्माण राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में उपलब्ध एवं प्री–बिड बैठक में दिखलाये गए चित्र तथा विभागीय पदाधिकारी एवं उनके दल द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जाना है। झांकी के निर्माण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी संलग्न Annexure -'1' में दृष्टव्य है।
2. केवल तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा ही खोली जाएगी।
3. प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का निर्माण कार्य निश्चित तौर पर दिनांक 14 अगस्त, 2015 के संध्या 7 बजे तक तैयार हो जानी चाहिए तथा पेन्ट/फूल इत्यादि से finishing touches देकर सम्पूर्ण झांकी 15 अगस्त, 2015 को प्रातः 4 बजे तक निश्चित रूप से तैयार हो जानी चाहिए।
4. झांकी निर्माण के दौरान सभी कलाकार एवं अन्य कर्मी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के झांकी निर्माण कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग/संस्था के कार्य में नहीं लगे होने चाहिये।

5. झांकी का निर्माण जिला प्रशासन/सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये बड़े ट्रेलर (ट्रक) पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा अनुमोदित आलेख एवं डिजाईन के अनुरूप कार्य स्थल पर उपस्थित विभागीय पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी के निदेशानुसार करना होगा।

6. झांकी के निर्माण में कम–से–कम 100 विभिन्न प्रकार के रंगीन फूल वाले गमलों एवं आवश्यकतानुसार प्राकृतिक फूलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सभी गमलों को विभागीय पदाधिकारी के निदेशानुसार पेन्ट से रंगा जाना है।

7. झांकी के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री नई होनी चाहिये। सभी कपड़े के झालर नए साटन के रंगीन कपडों से बनाना है।

8. झांकी में जिस सतह पर जहाँ–जहाँ पेन्ट प्रयोग किया जाना है, का सतह पेन्ट करने के पश्चात् बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिये।

9. झांकी प्रदर्शित होने तक झांकी की सुरक्षा की सभी प्रकार की पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की होगी।

10. प्रदर्शन अवधि में अथवा प्रदर्शन से पूर्व झांकी में किसी प्रकार की टूट–फूट, कमी होने पर भुगतान राशि से वांछित कटौती की जायेगी तथा प्रदर्शन में असफल होने पर कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

11. झांकी प्रदर्शन के उपरांत साल्वेज निविदादाता का होगा, इस तथ्य को ध्यान में रखकर हीं निविदादाता सभी प्रकार के करों सहित एकमुश्त दर उद्धृत करेंगे।

12. झांकी में भाग लेने वाले कलाकार, उनका पहचान–पत्र, परिचय–पत्र हेतु फोटो, उनके लिए कार्ड, परिधान, म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक, PA सिस्टम, साउन्ड बॉक्स, विभागीय पदाधिकारी के निदेशानुसार artificial एवं natural फूलों की समुचित मात्रा में व्यवस्था, झांकी के विषय से संबंधित सभी परिचायात्मक आकर्षक फोल्डर आदि की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करनी होगी।

13. झांकी निर्माण के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

14. प्री–बिड बैठक दिनांक 03 अगस्त, 2015 को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के सभागार कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे निर्धारित की गई है एवं इच्छुक निविदादाता इस बैठक में उपस्थित हो सकते हैं तथा झांकी के विभिन्न सूक्ष्म पहलूओं पर पृच्छा कर सकते हैं।

15. झांकी प्रदर्शन के पश्चात् विधिवत् विपत्र उपस्थापित किए जाने के उपरान्त भुगतान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जानी है।

16. झांकी निर्माण एवं प्रदर्शन से संबंधित सभी प्रकार के कर का भुगतान एजेन्सी द्वारा ही किया जाना है। सरकारी नियमों के अनुसार जहाँ उपयुक्त है वहाँ TDS/ अन्य टैक्सों जो सरकारी नियमानुसार लागू हों, की कटौती भी भुगतान के समय की जाएगी। झांकी निर्माण/प्रदर्शन कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने अथवा एजेंसी के द्वारा झांकी निर्माण/प्रदर्शन कार्य में अनियिमितता बरतने पर न्यूनतम 5 से अधिकतम 25 प्रतिशत तक अथवा अपर कार्यपालक निदेशक को जो भी मान्य हो, की कटौती भी की जा सकती है।

17. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सुरक्षित होगा तथा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वतंत्र होगा। निविदा के रद्द होने पर निविदादाताओं द्वारा समर्पित अग्रधन राशि (डिमाण्ड ड्राफ्ट) संबंधित निविदादाताओं

को वापस कर दिया जायेगा। परंतु निविदादाताओं को किसी प्रकार की राशि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार से देय नहीं होगी।

18. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं एजेन्सी के मध्य इस निविदा के तहत् होने वाले किसी भी प्रकार के विवाद को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को मध्यस्थ (Arbitrator) के रूप में निर्णयार्थ प्रेषित किया जाएगा एवं प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(अपर कार्यपालक निदेशक)

ANNEXURE 1

(For 15 August, 2015 Tableau)

SPECIFICATIONS	**Total Cost (Rs.) Including all taxes**
– Construction of the tableau will be made on full size trailer (Truck).	
– Facia and the whole structure will be made by good quality appropriate materials like plywood/ acrilyc sheet/ plaster of paris/ fiber glass/cut mirror complete with fitting, fixing and painting according to approved design and model. Used and old material is not to be used.	
– Painting will be done by first quality plastic paint (Asian Paints or ICI) and through paint compressor machine where ever required as per colour pattern approved by Nodal Officer and his team	
– Letter writing, L**ogo** of Mukhyamantri Saghan Tikakaran Abhiyan' and the **SHSB logo** will be made by thermocol cut out letters or in best quality Star Flex as per the design and will be fully decorated by flowers and fern leaves.	
– The entire floor will be made as per design and specification approved by Nodal Officer and his team.	
– Frill work by new satin cloth of specified colour will also be fixed in the entire floor on the lower part.	
– 40 Professional Performer/Dance Artists (Male/Female/Kids) from a reputed dance troop/company dressed in specially stitched costumes performing on specially choriographed dance in front of the tableau on the described theme.	
– Heavy duty music system with sound boxes and other accessories may be required.	
– Decorative LED lightng on the entire truck.	
– Sculpture work may be required.	

ifjokj dY;k.k Hkou] 'k[kijk] iVuk&14

अल्पकालीन निविदा सूचना

¼Lor=rk fnol lekjkg] 2015 gr >kdh fuek.k@in'ku gr½

स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), 2015 के अवसर पर पटना के गॉधी मैदान में प्रदर्शित होने वाली झांकी के निर्माण एवं प्रदर्शन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा अनुभवी/ख्याति प्राप्त फर्मों/एजेंसियों से मुहरबंद लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ दिनांक 06 अगस्त, 2015 के अपराह्न 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदा दिनांक 06 अगस्त, 2015 को ही अपराह्न 04 बजे खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

एक बड़े लिफाफे पर "स्वतंत्रता दिवस, 2015 – झांकी निर्माण/प्रदर्शन हेतु अल्पकालीन निविदा" अंकित होनी चाहिए जिसके अंदर दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में वित्तीय एवं तकनीकी निविदा समर्पित की जानी है।

1) तकनीकी निविदा वाले लिफाफे पर कवर 'क' "स्वतंत्रता दिवस, 2015 – झांकी निर्माण/प्रदर्शन हेतु अल्पकालीन निविदा" हेतु तकनीकी बिड" एवं
2) वित्तीय निविदा वाले लिफाफे पर कवर 'ख' – "स्वतंत्रता दिवस, 2015 – झांकी निर्माण/प्रदर्शन हेतु अल्पकालीन निविदा" हेतु वित्तीय बिड" अवश्य अंकित होनी चाहिए।

मात्र तकनीकी निविदा में सफल निविदाकर्त्ताओं के ही वित्तीय निविदा खोले एवं मूल्यांकित किये जायेंगे।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का निर्णय अंतिम होगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार की जॉच–पड़ताल मान्य नहीं होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार की इच्छा अनुरूप विभिन्न निविदाकर्त्ताओं को भी कार्य दिया जा सकता है।

ih&fcM gr fu/kkfjr frfFk % दिनांक 03 अगस्त, 2015 पूर्वाह्न 11 बजे (राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के सभागार कक्ष में)।

fufonk ikfIr dh vfre frfFk % दिनांक 06 अगस्त, 2015 अपराह्न 3 बजे तक। रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 06 अगस्त, 2015 के अपराह्न 3 बजे तक एवं दिनांक 06 अगस्त, 2015 के पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय के टेंडर ड्रॉप बॉक्स में डाली गयी निविदा ही मान्य होगा। व्यक्तिगत रूप से जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

fufonk lc/kh ik=rk] ;kX;rk] 'kÙk bR;kfn dh foLrr tkudkjh jkT; LokLF; lfefr] fcgkj d oclkbV **www.statehealthsocietybihar.org** ij miyC/k gA

झांकी निर्माण संबंधित निविदा के आलोक में किसी भी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है।

किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द/अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सुरक्षित होगा तथा किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वतंत्र होगा।

¼vij dk;ikyd fun'kd½